फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नालाल **विपक्षी : श्री बाबुलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 45/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.12.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। वादी द्वारा वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हैं। वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 633, 1743, 1750, 1751, 2277/2146 किता 5 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री पन्नालाल पिता रामलाल जाट निवासी धनेरिया तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता वरदीचन्द जाट निवासी धनेरिया तह. मावली।
2. श्री पृथ्वीराज पिता वरदीचन्द जाट निवासी धनेरिया तह. मावली।
3. श्री किशन पिता वरदीचन्द जाट निवासी धनेरिया तह. मावली।
4. श्री छगन पिता दौला जाट निवासी धनेरिया तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 45/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00075

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 633, 1743, 1750, 1751, 2277/2146 किता 5 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:38 IST
Reason: SelfAttested